बिहार सरकार

# बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 एवं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2022 के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित बिहार विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत विवरण ।

**सम्राट चौधरी**
उप मुख्य(वित्त)मंत्री

वर्ष 2025

## बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 एवं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2022


| क्रम सं० | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 1 | प्राक्कथन | |
| 2 | बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन | 1—3 |
| 3 | वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण | 4—17 |
| 4 | मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण | 18—26 |
| 5 | राजकोषीय नीति युक्ति विवरण | 27—34 |
| 6 | राजकोषीय पारदर्शिता के लिए प्रकटन | 35—42 |

# प्राक्कथन

राज्य सरकार के आर्थिक विकास में वित्तीय नीति का अति महत्वपूर्ण स्थान है। यह वित्तीय नीति ''**बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम**'' से मार्गदर्शित है। वर्ष 2022 में राज्य सरकार ने 'बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली, 2022' को लागू किया है।

अनुशासित एवं विवेकपूर्ण वित्तीय नीति आर्थिक विकास की गति को तेज करती है। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 से ही बिहार में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट अधिनियम की धारा–12 की उपधारा (1) एवं (2) अन्तर्गत बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली के तहत यह विवरण बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों में उपस्थापित किया जाता है।

यह विवरणी राज्य की वृहद् आर्थिक रूप–रेखा विवरण, राज्य सरकार की वित्तीय रूप–रेखा, मध्यमकालीक राजकोषीय नीति विवरण, राजकोषीय घटकों के पूर्वानुमान, राजकोषीय नीति युक्ति विवरण एवं राजकोषीय पारदर्शिता के लिए प्रकटन प्रस्तुत करता है।

यह दस्तावेज आने वाले वर्षों में आर्थिक एवं राजकोषीय क्षेत्रों में संभावनाओं को भी समाहित करता है। विश्वास है कि यह दस्तावेज नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों, शोधकर्ताओं इत्यादि के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

# <u>बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन</u>

राज्य सरकार ने अपनी व्यापक आर्थिक नीति में लोक वित्त को प्राथमिकता प्राथमिकता देते हुए राजकोषीय नीति को विकासोन्मुख बनाया है । इस दिशा में 'राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006' एक मील का पत्थर है। राज्य सरकार ने 18 फरवरी 2006 को ''**बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम**'' को पारित किया ।

इस अधिनियम के पूर्णतः पालन हेतु राज्य सरकार ने वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में कई नीतिगत एवं त्वरित पहल किये हैं। राज्य की आर्थिक उन्नति को ध्यान में रखते हुए राजकोषीय नीति को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। आर्थिक परिस्थिति के अनुसार राज्य सरकार राजकोषीय नीति में समय–समय पर उपयुक्त बदलाव करती रही है । केन्द्र सरकार द्वारा वैश्विक आर्थिक मंदी के आलोक में बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा का अनुपात 2009–10 में 4.00 प्रतिशत तथा वर्ष 2010–11 में 3.50 प्रतिशत किया गया था। पुनः वर्ष 2011–12 एवं उसके बाद के वर्षों में इसे 3.00 प्रतिशत रखा गया था।

चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा तथा भारत सरकार के मार्गदर्शन के आलोक में बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 9, 2016) के द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 में अपेक्षित संशोधन किया गया। अधिनियम 2016 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2019–20 की अवधि में राज्य के लिए राजकोषीय घाटा में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.50 प्रतिशत का अतिरिक्त छुट दिया गया । कुल बकाया ऋण राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 25 प्रतिशत या कम होने पर जी० एस० डी० पी० का 0.25 प्रतिशत तथा ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्ति का 10 प्रतिशत या कम होने पर जी० एस० डी० पी० का 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त उधार सीमा के लिए पात्र होगा ।

अधिनियम की धारा 5 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष बजट के साथ–साथ राजकोषीय नीति संबंधी विवरण यथा (क) वृहद् आर्थिक रूपरेखा का विवरण, (ख) मध्यमकालिक राजकोषीय नीति का विवरण और (ग) राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण रखेगी ।

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 क्रियान्वित होने के फलस्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था में 2005–06 से लगातार दो अंको में वृद्धि दर्ज कर रही है । यह आर्थिक वृद्धि दर राज्य सरकार द्वारा लिए गए विवेकपूर्ण नीतिगत फैसलों के फलस्वरूप सम्भव हुई है । इस आर्थिक वृद्धि का लाभ समाज के हर वर्ग को मिला है, जिसके फलस्वरूप गरीबी में कमी दर्ज की गयी एवं राज्य के लिए आर्थिक सामाजिक संकेतकों में सुधार हुआ है । कोविड–19 के दौरान आर्थिक मंदी के कारण भारत सरकार ने राजकोषीय नीति में परिवर्तन कर राजकोषीय घाटा की सीमा को राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2020–21 के लिए 5.00 प्रतिशत (1.5 प्रतिशत सशर्त) तथा वर्ष 2021–22 के लिए 4.5 प्रतिशत (1. 00 प्रतिशत सशर्त) कर दिया था । राज्य सरकार ने इसके मद्देनजर बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन कर राजकोषीय घाटा की अधिसीमा में तदनुसार बढ़ोत्तरी की थी।

राज्य में आर्थिक वृद्धि को अधिक गति प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के निर्णय के आलोक में वर्ष 2022–23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा के अनुपात को 4.00 प्रतिशत (0.50 प्रतिशत सशर्त) तथा पुनः वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट के लिए यह अधिसीमा 3.50 प्रतिशत (0.50 प्रतिशत सशर्त) रखा था । वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान राजकोषीय घाटा की इस अधिसीमा को पुनः 3.0 प्रतिशत रखा गया । वर्ष 2025–26 के राज्य बजट में राज्य सकल घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा के अनुपात को 3.00 प्रतिशत रखा गया है। साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के उपाय हेतु इस अनुपात में 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त छुट दी गयी है।

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 एवं इसके विभिन्न धाराओं के अधीन निर्मित बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली, 2022 के आलोक में राज्य के विधान मंडल के समक्ष निम्न 4 प्रारूपों के साथ विवरणी उपस्थापित की जा रही हैः–

अनुसूची 1ः अधिनियम की धारा 6 के तहत 'वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण'

अनुसूची 2ः अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 1 के तहत 'मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण'

अनुसूची 3ः अधिनियम की धारा 8 के तहत 'राजकोषीय नीति युक्ति विवरण' तथा

अनुसूची 4ः अधिनियम की धारा 10 के तहत 'राजकोषीय पारदर्शिता के प्रकटन'

## अनुसूची–1
## वृहद् आर्थिक रूप रेखा विवरण

सत्त एवं समावेशी आर्थिक विकास की नीतियों को अपनाते हुए राज्य सरकार राज्य के चौतरफा विकास हेतु कार्य कर रही है, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2005–2015 के दौरान आर्थिक वृद्धि 10 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ी। राज्य का आर्थिक आकार वर्ष 2011–12 की तुलना में वर्ष 2023–24 में लगभग दो गुना हो गया है। स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011–12) पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2011–12 के 2.47 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 4.65 लाख करोड़ रुपये हो गया है। वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य ने 9.2 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल की है।

**राज्य अर्थव्यवस्था की रूपरेखा**

बिहार सरकार द्वारा विकासोन्मुखी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं दूरदर्शी राजकोषीय नीति के परिणामस्वरूप हमारा राज्य उच्च आर्थिक वृद्धि दर को लगातार हासिल कर रहा है। वर्ष 2023–24 के दौरान बिहार ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 9.2 प्रतिशत का उच्च वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त किया है, जिससे हमार राज्य देश के सर्वोच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने वाले तीन प्रमुख राज्यों में सुमार हो गया है। तालिका 'क'–I में देश के विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों का आर्थिक वृद्धि दर दर्शाया गया है । तालिकानुसार देश के सभी राज्यों के आर्थिक वृद्धि दर के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर है, जबकि प्रथम स्थान पर असम तथा दूसरे स्थान पर तेलंगाना है । गौरतलब है कि बड़े राज्यों में गुजरात द्वारा वर्ष 2023–24 में अपना सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़ा अभी तक जारी नही किया गया है ।

चार्ट 'क'–I राज्यवार स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011–12) पर 2023–24 के दौरान आर्थिक वृद्धि दर प्रतिशत में

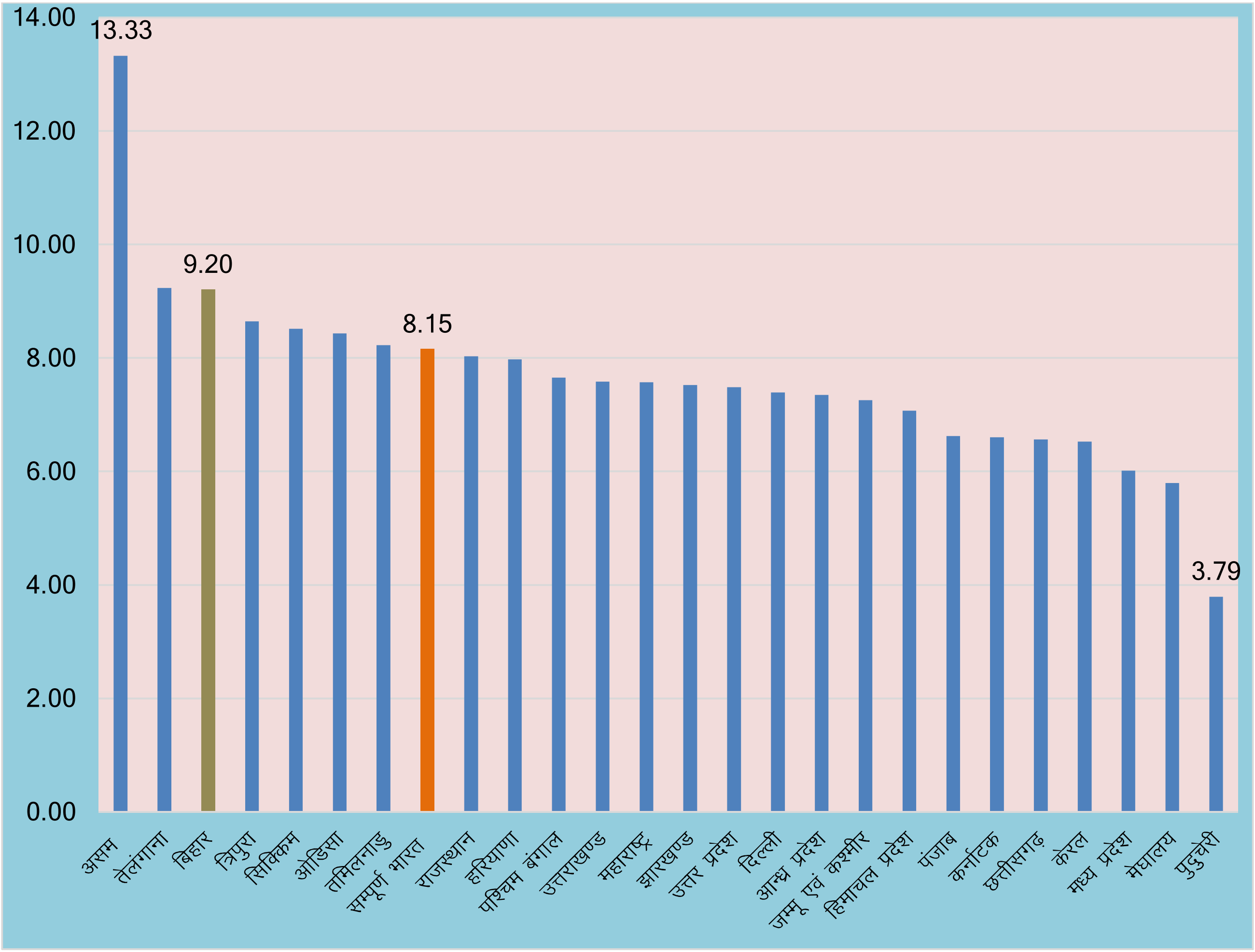

## तालिका 'क'–**I:** स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011–12) पर देश के विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों का आर्थिक वृद्धि दर (2023–24)

राशि करोड़ रुपये में

| राज्य/केन्द्र शासित | **2022-23** | **2023-24** | वार्षिक वृद्धि दर **(2023-24)** |
|---|---|---|---|
| असम | 281093 | 318559 | 13.33 |
| तेलंगाना | 725898 | 792941 | 9.24 |
| **बिहार** | **425384** | **464540** | **9.20** |
| त्रिपुरा | 42758 | 46455 | 8.65 |
| सिक्किम | 22948 | 24902 | 8.52 |
| ओडिसा | 480402 | 520911 | 8.43 |
| तमिलनाडु | 1451929 | 1571368 | 8.23 |
| **सम्पूर्ण भारत** | **16071429** | **17381722** | **8.15** |
| राजस्थान | 782287 | 845115 | 8.03 |
| हरियाणा | 587198 | 634027 | 7.97 |
| पश्चिम बंगाल | 839805 | 904088 | 7.65 |
| उत्तराखण्ड | 198341 | 213378 | 7.58 |
| महाराष्ट्र | 2241196 | 2410898 | 7.57 |
| झारखण्ड | 265121 | 285070 | 7.52 |
| उत्तर प्रदेश | 1324255 | 1423358 | 7.48 |
| दिल्ली | 625981 | 672247 | 7.39 |
| आन्ध्र प्रदेश | 764685 | 820894 | 7.35 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 129055 | 138422 | 7.26 |
| हिमाचल प्रदेश | 133372 | 142800 | 7.07 |
| पंजाब | 465079 | 495881 | 6.62 |
| कर्नाटक | 1335052 | 1423229 | 6.60 |
| छत्तीसगढ़ | 302119 | 321945 | 6.56 |
| केरल | 596237 | 635137 | 6.52 |
| मध्य प्रदेश | 622908 | 660363 | 6.01 |
| मेघालय | 26789 | 28342 | 5.80 |
| पुदुचेरी | 25788 | 26765 | 3.79 |

स्रोतः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार।

राज्य की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय स्तर की तुलना में संरचनात्मक परिवर्तन :–

राज्य एवं अखिल भारतीय (2003–04 से 2023–24) अर्थव्यवस्था ने तीनों क्षेत्रों (प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक) में बदलाव दर्ज किया है । इसी अवधि में बिहार की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण बदलाव दर्ज हुआ है । तालिका 'क'–II में बिहार एवं अखिल भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले दो दशक के दौरान हुए संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाया गया है । अखिल भारतीय स्तर पर प्राथमिक क्षेत्र में 7.3 प्रतिशत अंक की गिरावट दर्ज हुई है । प्राथमिक क्षेत्र में गिरावट के फलस्वरूप द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। जहाँ एक ओर द्वितीयक क्षेत्र में 5.4 प्रतिशत अंक की वृद्धि दर्ज हुई है, वहीं तृतीयक क्षेत्र में 1.9 प्रतिशत अंक का उछाल दर्ज हुई है। इसी प्रकार, बिहार के प्राथमिक क्षेत्र में जहाँ 12.6 प्रतिशत अंक की गिरावट दर्ज हुई वहीं द्वितीयक क्षेत्र में 10.6 प्रतिशत अंक की महत्वपूर्ण वृद्धि तथा तृतीयक क्षेत्र में 2.0 प्रतिशत अंक का उछाल दर्ज हुआ है । राज्य स्तर पर प्राथमिक एवं तृतीयक क्षेत्रों का योगदान अखिल भारतीय स्तर की तुलना में अधिक है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीयक क्षेत्र का योगदान बिहार की तुलना में अधिक है ।

बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से ज्यादा है इसलिए बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का योगदान राष्ट्रीय औसत सकल घरेलू उत्पाद में मामूली बढ़ोतरी दर्ज करता है, जो वर्ष 2003–04 के 2.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 2.7 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी बिहार में प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय से 29.3 प्रतिशत (2003–04) से बढ़कर 34.0 प्रतिशत (2023–24) हो गया है ।

## तालिका 'क'-II: अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक परिवर्त्तन :-

| प्रक्षेत्र | अखिल भारत | | | बिहार | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2003-04** | **2013-14** | **2023-24** | **2003-04** | **2013-14** | **2023-24** |
| जी०वी०ए०/जी०एस०वी०ए० का क्षेत्रीय वितरण (लाख करोड़ में) | | | | | | |
| प्राथमिक | 5.31 | 18.72 | 26.43 | 0.19 | 0.61 | 0.92 |
| द्वितीयक | 5.19 | 25.61 | 45.62 | 0.06 | 0.50 | 0.99 |
| तृतीयक | 11.72 | 46.30 | 86.69 | 0.33 | 1.49 | 2.71 |
| जी०वी०ए०/जी०एस०वी०ए० | **22.23** | **90.64** | **158.74** | **0.59** | **2.61** | **4.62** |
| जी०वी०ए०/जी०एस०वी०ए० का आर्थिक संरचना में हिस्सा (प्रतिशत में) | | | | | | |
| प्राथमिक | 23.9 | 20.7 | 16.6 | 32.5 | 23.4 | 19.9 |
| द्वितीयक | 23.4 | 28.3 | 28.7 | 10.9 | 19.3 | 21.5 |
| तृतीयक | 52.7 | 51.1 | 54.6 | 56.6 | 57.3 | 58.6 |
| जी०वी०ए०/जी०एस०वी०ए० | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |
| विकास दर (प्रतिशत में) | | | | | | |
| जी०डी०पी०/जी०एस०डी०पी० (लाख करोड़ में) | 24.03 | 98.01 | 173.82 | 0.59 | 2.70 | 4.65 |
| प्रति व्यक्ति आय (रुपये में) | 20871 | 68572 | 106744 | 6117 | 24874 | 36333 |
| सम्पूर्ण भारत में बिहार का जी०एस०डी०पी० का हिस्सा | 2.4 | 2.8 | 2.7 | - | - | - |
| प्रति व्यक्ति आय (प्रतिशत में) | 29.3 | 36.3 | 34.0 | - | - | - |
| स्रोतः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार। | | | | | | |

टिप्पणीः तालिका के आंकड़े वर्ष 2003-04 के लिए आधार वर्ष 1999-2000 तथा वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2023-24 के लिए आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर आधारित है।

## चार्ट 'क'-II: अखिल भारत का आर्थिक संरचनात्मक परिवर्त्तन (2003-04 और 2023-24)

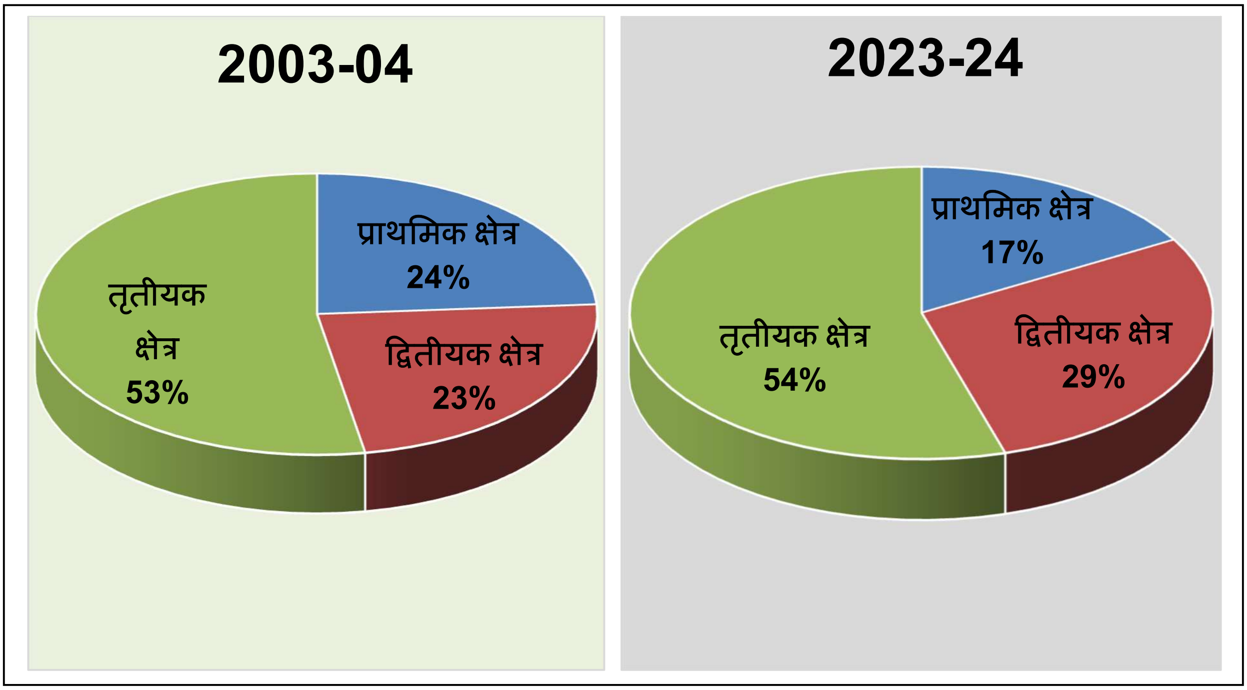

चार्ट 'क'-II: बिहार का आर्थिक संरचनात्मक परिवर्त्तन (2003-04 और 2023-24)

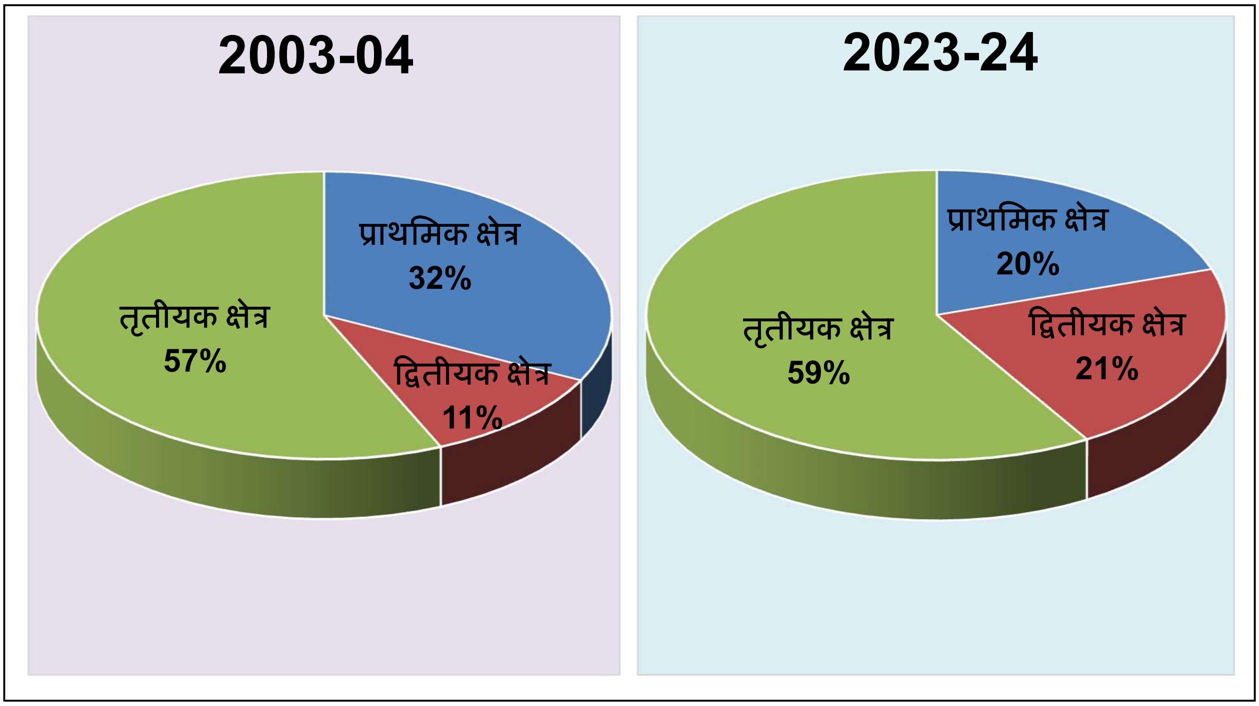


तालिका 'क'–III में बिहार का क्षेत्रवार सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011–12 के स्थिर मूल्यों पर) दर्शाया गया है । तालिका में प्रदर्शित आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि वर्ष 2011–12 से वर्ष 2023–24 की अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के कई प्रक्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज हुई है ।

खनन प्रक्षेत्र में इस अवधि में 9.5 गुनी वृद्धि दर्ज की गई, वहीं वायु परिवहन प्रक्षेत्र में पाँच गुनी बढ़ोत्तरी हुई है । राज्य सरकार की नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति का प्रभाव विनिर्माण प्रक्षेत्र में भी देखने को मिला है, जिसके फलस्वरूप इस प्रक्षेत्र का आकार वर्ष 2011–12 के 14,666 करोड़ रुपये से 2.4 गुना बढ़ कर वर्ष 2023–24 में 34,966 करोड़ रुपये हो गया है। इसी प्रकार भंडारण क्षेत्र के आकार में भी 4.5 गुनी वृद्धि दर्ज की गई है ।

इस तालिका में वर्ष 2023–24 के दौरान वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर को क्षेत्रवार दिखाया गया है। वर्ष 2023–24 में उच्च आर्थिक वृद्धि के प्रमुख कारक निम्न है :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. होटल एवं रेस्टोरेंट | – | 29.1 प्रतिशत |
| 2. खनन | – | 21.1 प्रतिशत |
| 3. भंडारण | – | 18.3 प्रतिशत |
| 4. विद्युत / गैस / जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएँ | – | 18.0 प्रतिशत तथा |
| 5. जल परिवहन | – | 15.8 प्रतिशत |

उपर्युक्त सभी प्रक्षेत्र का आर्थिक वृद्धि दर 15 प्रतिशत से ज्यादा है। तालिका 'क'–III के अनुसार सेवा क्षेत्र में वर्ष 2023–24 के दौरान 10.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो राज्य के उच्च आर्थिक वृद्धि दर का द्योतक है । अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का आर्थिक वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत है जबकि द्वितीयक क्षेत्र का आर्थिक वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत है, जो काफी बेहतर है । कुल मिलाकर राज्य ने वर्ष 2023–24 में 9.2 प्रतिशत की अर्थिक वृद्धि दर को हासिल किया है ।

## तालिका 'क'–III : स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011–12) पर बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार अवलोकन (वित्तीय वर्ष 2011–12 से वित्तीय वर्ष 2023–24)

(करोड़ रुपये में)

| क्र० सं० | क्षेत्र | 2011-12 | 2015-16 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | विकास दर (2023-24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कृषि/वानिकी और मत्स्य | 62067 | 60735 | 80943 | 85328 | 89935 | 5.4 |
| 1.1 | फसल | 42608 | 35330 | 41067 | 43811 | 45853 | 4.7 |
| 1.2 | पशुधन | 12028 | 16281 | 26351 | 27064 | 29126 | 7.6 |
| 1.3 | वानिकी/काष्ठ उत्पादन | 4187 | 4353 | 6351 | 6483 | 6733 | 3.9 |
| 1.4 | मत्स्य एवं जलीय कृषि | 3244 | 4772 | 7173 | 7970 | 8223 | 3.2 |
| 2 | खनन/प्रस्तर खनन | 199 | 1789 | 533 | 1561 | 1891 | 21.1 |
| | **उप योग (प्राथमिक)** | **62265** | **62524** | **81476** | **86889** | **91825** | **5.7** |
| 3 | विनिर्माण | 14666 | 23384 | 36698 | 34490 | 34966 | 1.4 |
| 4 | विद्युत/गैस/जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं | 3659 | 4272 | 7835 | 10424 | 12298 | 18.0 |
| 5 | निर्माण | 27017 | 28669 | 38406 | 46840 | 52023 | 11.1 |
| | **उप योग (द्वितीयक)** | **45341** | **56325** | **82939** | **91754** | **99288** | **8.2** |
| 6 | व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट | 43904 | 50424 | 56020 | 64524 | 73501 | 13.9 |
| 6.1 | व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं | 41109 | 47496 | 53909 | 60711 | 68577 | 13.0 |
| 6.2 | होटल एवं रेस्टोरेंट | 2796 | 2927 | 2111 | 3813 | 4924 | 29.1 |
| 7 | परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं | 17545 | 29428 | 41285 | 42616 | 47313 | 11.0 |
| 7.1 | (i) रेलवे | 2751 | 4070 | 4137 | 3989 | 4126 | 3.4 |
| 7.2 | (ii) सड़क परिवहन | 8405 | 14006 | 23034 | 22632 | 25051 | 10.7 |
| 7.3 | (iii) जल परिवहन | 49 | 18 | 49 | 67 | 78 | 15.8 |
| 7.4 | (iv) वायु परिवहन | 31 | 126 | 130 | 135 | 156 | 15.6 |
| 7.5 | परिवहन के लिए आकस्मिक सेवाएं | 893 | 1499 | 2430 | 2508 | 2755 | 9.8 |
| 7.6 | भंडारण | 74 | 80 | 261 | 279 | 330 | 18.3 |
| 7.7 | प्रसारण से संबंधित सेवाएं | 5342 | 9629 | 11243 | 13006 | 14817 | 13.9 |
| 8 | वित्तीय सेवाएं | 8839 | 12258 | 18920 | 19930 | 21465 | 7.7 |
| 9 | स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व तथा व्यवसाय सेवाएं | 28023 | 29991 | 38562 | 41056 | 43682 | 6.4 |
| 10 | लोक प्रशासन | 13587 | 13132 | 19570 | 23062 | 25325 | 9.8 |
| 11 | अन्य सेवाएं | 22193 | 32008 | 44028 | 53265 | 59473 | 11.7 |
| | **उप योग (तृतीयक)** | **134092** | **167240** | **218386** | **244452** | **270759** | **10.8** |
| 12 | **सकल राज्य मूल्यवर्धन** | **241698** | **286090** | **382800** | **423096** | **461873** | **9.2** |
| 13 | उत्पाद पर कर | 17169 | 30900 | 38468 | 40292 | 42203 | 4.7 |
| 14 | उत्पाद पर सब्सिडी | 11724 | 20501 | 34012 | 38004 | 39535 | 4.0 |
| 15 | सकल राज्य घरेलू उत्पाद | **247144** | **296488** | **387256** | **425384** | **464540** | **9.2** |

स्रोतः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार।

चार्ट 'क'-III: स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011–12) पर बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार वृद्धि दर (वित्तीय वर्ष 2023–24)

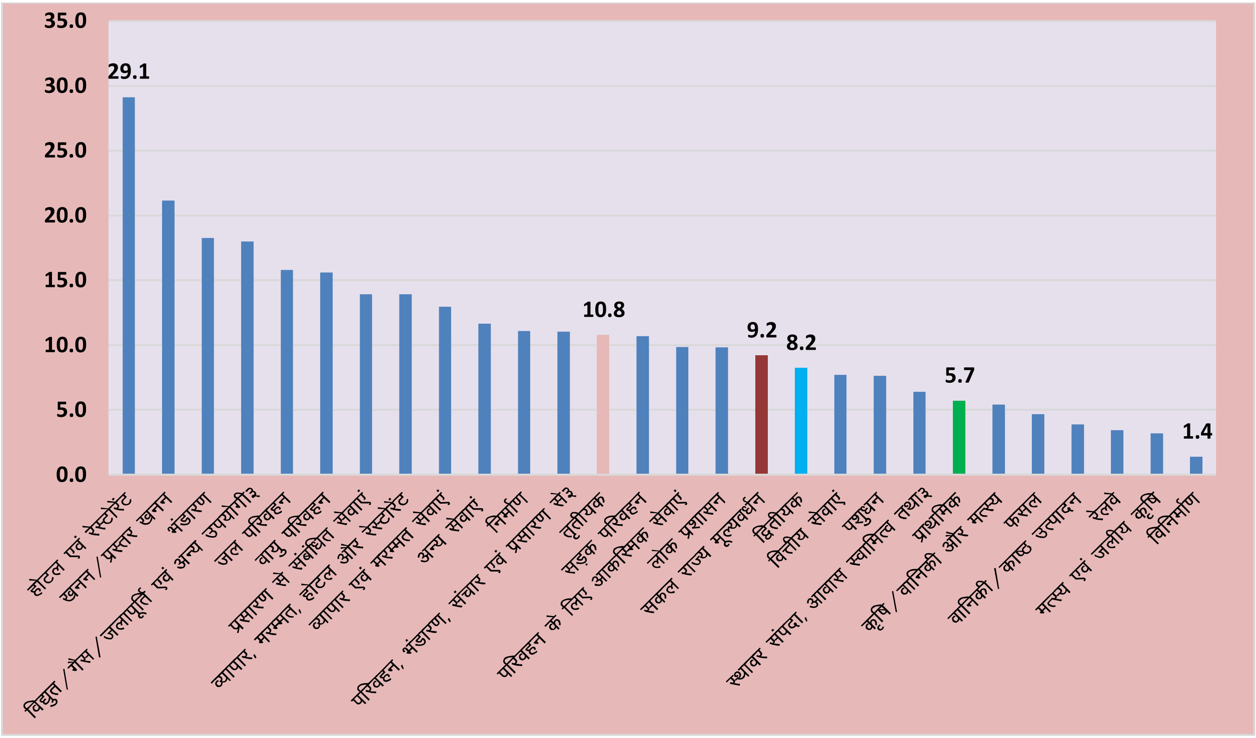


## राज्य सरकार की वित्तीय रूपरेखा

राज्य सरकार की प्राथमिकता सदैव बिहार में 'सुशासन' एवं 'न्याय के साथ विकास' की रही है । इस एजेंडा की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए अपने प्रशासन तंत्र के सुदृढ़ीकरण के साथ अनेक संस्थागत सुधारों को आरंभ किया है । सार्वजनिक निवेश के चयन में भी बदलाव आया है और आधारभूत भौतिक तथा सामाजिक अवसंरचना (Infrastructure) के विकास एवं सामाजिक सेवा प्रदान प्रणाली (Social Service Delivery System) को सुधार कर सुगम बनाने पर बल दिया गया है । राजकोषीय प्रबंधन में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप संसाधनों का आवंटन तथा व्यय की गुणवत्ता एवं इसके परिणामों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बेहतर सार्वजनिक वित्त प्रबंधन को विशेष महत्व दिया गया है । वित्तीय प्रबंधन के प्रमुख चार आयामों का विस्तृत विश्लेषण अग्रलिखित है–

**i**. **राजस्व संग्रहण** :– राज्य सरकार के लिए उपलब्ध संसाधनों में कर और गैर–कर राजस्व, पूँजीगत प्राप्तियाँ, केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा एवं केन्द्र सरकार से मिलने वाला अनुदान सम्मिलित है । वर्ष 2004–05 से यदि तुलना करें तो वर्ष 2025–26 में कुल राजस्व प्राप्ति में लगभग 16.6 गुना बढ़ोतरी दर्ज हुई है । वर्ष 2004–05 में राजस्व प्राप्ति 15,714.14 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2025–26 में राजस्व प्राप्ति 2,60,831 करोड़ रुपये अनुमानित है । वर्ष 2024–25 में राज्य का कुल राजस्व प्राप्ति 2,26,798 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2025–26 में 2,60,831 करोड़ रुपये अनुमानित है । पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वर्ष 2025–26 में 15.01 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है ।

वर्ष 2025–26 के बजट में राजस्व प्राप्ति का मुख्य स्रोत कर राजस्व है, जिसका कुल राजस्व प्राप्ति में 75.92 प्रतिशत का योगदान अनुमानित है। वर्ष 2024–25 की तुलना में कर राजस्व में 18.36 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है । वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट में बिहार के लिए केन्द्रीय करों में हिस्सा के रूप में 22.57 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है । वित्तीय वर्ष 2025–26 में केन्द्र सरकार की विभिन्न स्कीम में 45,360 करोड़ रुपये की प्राप्ति अनुमानित है । कुल प्राप्तियों में पूँजीगत प्राप्तियों का हिस्सा 17.74 प्रतिशत है ।

**ii**. **व्यय प्रबंधन** :– राज्य में निधि प्रवाह (Fund Flow) को बेहतर एवं नियंत्रित रखा गया है । व्यय प्रबंधन को अधिक सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण एवं युक्तिसंगत बनाने के लिए समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सी०एफ०एम०एस०) को उन्नत कर सी०एफ०एम०एस०– 2.0 लागू है। बजट की पूरी प्रक्रिया Online की गयी है, जिससे व्यय प्रबंधन काफी मजबूत हुआ है । राज्य सरकार जनमानस के हित में बजट बनाने के लिए सदैव तत्पर रही है । अनुशासित वित्तीय प्रबंधन एवं कुशल राजस्व संग्रहण के फलस्वरूप राज्य के कुल बजट में वर्ष 2004–05 की तुलना में वर्ष 2025–26 में 15.8 गुणी वृद्धि दर्ज हुई है। वर्ष 2004–05 में कुल व्यय 20,058 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2025–26 का बजट आकार 3,16,895 करोड़ रुपये हो गया है। वर्ष 2025–26 के बजट 3,16,895 करोड़ रुपये में 2,02,331 करोड़ रुपये जन कल्याण हेतु सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रों में कर्णांकित किया गया है । यह सम्पूर्ण बजट का 63.85 प्रतिशत है । यदि 2025–26 के बजट को राजस्व एवं पूँजीगत व्यय के वर्गीकरण के आधार पर देखें तो राजस्व व्यय का वर्ष 2024–25

के बजट 2,25,677 करोड़ रुपये की तुलना में 11.66 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2025–26 के बजट में 2,52,000 करोड़ रुपये हो गया है । वही पूंजीगत परिव्यय में वर्ष 2024–25 की तुलना में वर्ष 2025–26 में 37.79 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2025–26 में 11,116 करोड़ रुपये की वृद्धि अनुमानित है । राज्य सरकार ने उच्च आर्थिक वृद्धि दर को हासिल करने के उद्देश्य से कुल बजट का 65.26 प्रतिशत राशि विकासात्मक व्यय के मद में कर्णांकित किया है। यह राज्य सरकार की राजकोषीय नीति के सामाजिक आर्थिक विकास में परिलक्षित होता है ।

**iii. घाटा प्रबंधन** :– इसके प्रमुख तीन घटक है– (i) राजस्व घाटा, (ii) राजकोषीय घाटा एवं (iii) प्राथमिक घाटा ।

वर्ष 2004–05 से राज्य सरकार ने राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व अधिशेष अर्जित करना शुरू किया था । वर्ष 2025–26 में 8,831.18 करोड़ रुपये का राजस्व बचत अनुमानित है । वर्ष 2025–26 के बजट में राजस्व बचत सकल राज्य घरेलू उत्पादन का 0.80 प्रतिशत अनुमानित है । राजस्व बचत का उपयोग पूँजीगत परिव्यय में होगा, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा ।

वर्ष 2025–26 के बजट में राज्य का कुल राजकोषीय घाटा 32,718.31 करोड़ रुपये अनुमानित है । राजकोषीय घाटा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.98 प्रतिशत आकलित है, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित 3.0 प्रतिशत की अधिसीमा में है । यह राज्य सरकार के अनुशासित वित्तीय प्रबंधन का परिचायक है ।

प्राथमिक घाटा के 9,704.37 करोड़ रुपये होने का अनुमान वर्ष 2025–26 के बजट में किया गया है । यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में मात्र 0.88 प्रतिशत है ।

**iv. ऋण प्रबंधन** :– राज्य सरकार ने ऋण उगाही में बुद्धिमत्ता दिखाते हुए बाजार में उपलब्ध कम ब्याज दर वाले ऋणों को प्राप्त किया है । राज्य सरकार ने राजकोष की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता के अनुसार ही ऋण लिया है ताकि अनावश्यक ब्याज अदायगी से बचा जा सके । पुनः राज्य सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि ऋण का उपयोग अधिक से अधिक

पूंजीगत परिव्यय (उत्पादक मद) में किया जाय । वर्ष 2025–26 के बजट में कुल ऋण प्राप्तियाँ 55,737.79 करोड़ रुपये अनुमानित है जबकि ऋण अदायगी मद में 22,819.87 करोड़ रुपये का ऋण अदायगी अनुमानित है। इस प्रकार वर्ष 2025–26 में निवल ऋण 32,917.00 करोड़ रुपये अनुमानित है । वर्ष 2023–24 तक ब्याज रहित ऋण के रूप में 19,360.15 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ है । वर्ष 2025–26 के बजट अनुमान के अनुसार 31 मार्च 2026 तक कुल बकाया ऋण 4,06,476 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 37.04 प्रतिशत है । यह अनुपात 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा 39.30 प्रतिशत से कम है ।

## ख. चयनित राजकोषीय संकेतकों का रूझान

(राशि करोड़ रुपये में)

| क्र. सं. | राजकोषीय संकेतक | पूर्व वर्ष (वास्तविकी) 2023–24 | चालू वर्ष (बजट अनुमान) 2024–25 | आगामी वर्ष (बजट अनुमान) 2025–26 | पूर्व वर्ष से चालू वर्ष में प्रतिशत परिवर्तन | चालू वर्ष से आगामी वर्ष में प्रतिशत परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | कुल राजस्व प्राप्तियाँ (2+3+4) | **193347.24** | **226798.40** | **260831.44** | **17.30** | **15.01** |
| 2. | कर राजस्व (2क+2ख) | **161965.18** | **167311.92** | **198035.85** | **3.30** | **18.36** |
| | (क) संघीय करों में राज्य का अंश | 113604.49 | 113011.92 | 138515.85 | -0.52 | 22.57 |
| | (ख) राज्य सरकार के कर–राजस्व | 48360.69 | 54300.00 | 59520.00 | 12.28 | 9.61 |
| 3. | राज्य सरकार के कर भिन्न राजस्व | 5257.06 | 7325.86 | 8220.57 | 39.35 | 12.21 |
| 4. | केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान | 26125.00 | 52160.62 | 54575.02 | 99.66 | 4.63 |
| 5. | पूंजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8) | 60313.49 | 52127.32 | 56263.19 | -13.57 | 7.93 |
| 6. | ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली | 95.94 | 439.18 | 525.40 | 357.77 | 19.63 |
| | लोक ऋण (7+8) | **60217.55** | **51688.14** | **55737.79** | **-14.16** | **7.83** |
| 7. | राज्य सरकार के आंतरिक ऋण | 49545.76 | 49188.14 | 54658.04 | -0.72 | 11.12 |
| 8. | केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम | 10671.79 | 2500.00 | 1079.75 | -76.57 | -56.81 |
| 9. | कुल प्राप्तियाँ (1+5) | **253660.73** | **278925.72** | **317094.63** | **9.96** | **13.68** |
| 10. | स्थापना एव प्रतिबद्ध व्यय | **150247.36** | **178706.09** | **200135.42** | **18.94** | **11.99** |
| 10.1 | राजस्व खाते पर जिसमें | 127048.02 | 156085.84 | 177094.95 | 22.86 | 13.46 |
| | (क) ब्याज भुगतान | 17605.80 | 20526.19 | 23013.94 | 16.59 | 12.12 |
| | (ख) पेंशन | 24290.92 | 31796.13 | 33389.43 | 30.90 | 5.01 |
| | (ग) वेतन | 27016.74 | 40559.34 | 51690.34 | 50.13 | 27.44 |
| 10.2 | पूंजीगत खाते पर (क+ख+ग+घ) | **23199.34** | **22620.24** | **23040.47** | **-2.50** | **1.86** |
| | (क) राज्य का आन्तरिक ऋण | 21438.71 | 20621.99 | 21124.91 | -3.81 | 2.44 |
| | (ख) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम | 1540.67 | 1770.72 | 1694.96 | 14.93 | -4.28 |
| | (ग) पूंजीगत व्यय | 132.91 | 123.50 | 118.50 | -7.08 | -4.05 |
| | (घ) ऋण एवं पेशगियाँ | 87.05 | 104.03 | 102.10 | 19.51 | -1.86 |
| 11. | स्कीम व्यय (11.1+11.2) | **101835.08** | **100019.63** | **116759.60** | **-1.78** | **16.74** |
| | (क)वार्षिक स्कीम | 101806.50 | 100000.00 | 116750.00 | -1.77 | 16.75 |
| | (ख) केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम | 28.58 | 19.63 | 9.60 | -31.33 | -51.09 |
| 11.1 | राजस्व खाते पर | 63466.15 | 69591.15 | 74905.31 | 9.65 | 7.64 |
| 11.2 | पूंजीगत खाते पर | 38368.93 | 30428.47 | 41854.29 | -20.70 | 37.55 |
| 12. | कुल व्यय (10+11) | **252082.44** | **278725.72** | **316895.02** | **10.57** | **13.69** |
| 13. | राजस्व व्यय (10.1+11.1) | 190514.17 | 225676.99 | 252000.26 | 18.46 | 11.66 |
| 14. | पूंजीगत व्यय (10.2+11.2) | 61568.27 | 53048.71 | 64894.76 | -13.84 | 22.33 |
| 15. | राजस्व घाटा (13–1) | -2833.07 | -1121.41 | -8831.18 | | |
| 16. | राजकोषीय घाटा {12–(1+6+10.2(क)+10.2(ख))} | 35659.88 | 29095.43 | 32718.31 | | |
| 17. | प्राथमिक घाटा {(16–10.1(क)} | 18054.08 | 8569.24 | 9704.37 | | |
| 18. | जी.एस.डी.पी. | **854429.00** | **976514.00** | **1097264.00** | | |
| 19. | राजकोषीय घाटा/ जी.एस.डी.पी. | 4.17% | 2.98% | 2.98% | | |
| 20. | ब्याज भुगतान/कुल राजस्व प्राप्तियाँ | 9.11% | 9.05% | 8.82% | | |

संभावना में :– (वृद्धि संभावनाओं और राजकोषीय संभावनाओं का आकलन करना)

आर्थिक वृद्धि :– जन कल्याण हेतु राजकोष समृद्ध करना सरकार का प्राथमिक दायित्व है। इसके लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2025–26 के लिए 12.37 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि की संभावना वयक्त कर 10.97 लाख करोड़ रुपये का सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित किया है।

**राजस्व वृद्धि** :– वर्ष 2024–25 की तुलना में वर्ष 2025–26 में कुल प्राप्तियों में 38,168.91 करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान है, जिसमें से 34,033.04 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति के मद में वृद्धि की संभावना है तथा शेष 4,135.87 करोड़ रुपये की वृद्धि पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत संभावित है।

**व्यय में वृद्धि** :– बजट 2025–26 के आकार में 38,169.30 करोड़ रुपये की वृद्धि अनुमानित है। इस वृद्धि में 79.52 प्रतिशत राजस्व व्यय का हिस्सा है तथा शेष 20.48 प्रतिशत हिस्सा पूंजीगत व्यय के लिए सम्भावित है। वर्ष 2025–26 में राजस्व व्यय के 26,323.26 करोड़ रुपये की वृद्धि में 13,340.43 करोड़ रुपये वेतन एवं पेंशन मद में तथा 2,487.75 करोड़ रुपये ब्याज अदायगी मद में वृद्धि की संभावना है।

**राजस्व बचत** :– अनुशासित एवं मितव्ययी राजकोषीय नीति के परिणामस्वरूप वर्ष 2025–26 में 8831.18 करोड़ रुपये का राजस्व बचत अर्जित करने का अनुमान है। यह राशि राज्य के विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी।

**ऋण भूगतान एवं प्राप्तियों की संभावनाएं** :– वर्ष 2025–26 में 55,737.79 करोड़ रुपये की ऋण प्राप्ति की संभावना है तथा 22,819.87 करोड़ रुपये की ऋण अदायगी अनुमानित है। कुल निवल ऋण 32,917.92 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

## अनुसूची–2
## मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत राज्य के पाँच वर्ष का मध्यमकालिक राजकोषीय नीति का विशलेषण करना अनिवार्य है। इस मध्यमकालिक अवधि में वर्ष 2023–24 की वास्तविकी, वर्ष 2024–25 का बजट अनुमान, वर्ष 2025–26 का बजट अनुमान तथा आगामी दो वर्षों (2026–27 एवं 2027–28) का लक्ष्य शामिल है।

बिहार एक विकासशील राज्य है तथा उच्च आर्थिक वृद्धि के पथ पर तेजी से अग्रसर है । इस विकास की गति को तीव्र बनाने एवं उसे सतत् बनाये रखने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक राजकोषीय नीति अपनाई है, जिसमें राजस्व बचत को प्राथमिकता दिया गया है। साथ–ही राजकोषीय घाटा को नियमित कर सार्वजनिक निवेश द्वारा अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करना सरकार के मध्यमकालिक राजकोषीय नीति का केन्द्रीय लक्ष्य है ।

राज्य सरकार ने वर्ष 2023–24 से 2027–28 के दौरान मध्यमकालिक राजकोषीय नीति के अंतर्गत अनुशासित वित्त प्रबंधन द्वारा वित्तीय समेकन के पथ को प्राप्त करना तथा उसे बनाये रखना संविहित है । वित्तीय घाटा को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा में रखना राज्य की राजकोषीय नीति का अहम उद्देश्य है ।

वर्ष 2023–24 में कुल राजस्व बचत 2,833 करोड़ रुपये था जबकि वर्ष 2025–26 में 8,831 करोड़ रुपये का राजस्व बचत अनुमानित है । वर्ष 2027–28 में 10,685 करोड़ रुपये राजस्व बचत होने का लक्ष्य रखा गया है । वर्ष 2025–26 के बजट मे राजस्व बचत कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.80 प्रतिशत अनुमानित है ।

इसी प्रकार राजकोषीय घाटा भी वर्ष 2023–24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.17 प्रतिशत था और यह वर्ष 2025–26 के लिए 2.98 प्रतिशत अनुमानित किया गया है । आगामी वर्ष 2026–27 तथा वर्ष 2027–28 में राजकोषीय घाटा 3.00 प्रतिशत तक रखने का लक्ष्य है ।

राज्य सरकार ने अपने ऋण भंडार को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में धीरे–धीरे कम करने के लिए राजकोषीय नीति में लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे राजकोष पर ब्याज अदायगी का अनावश्यक भार नहीं बढ़े । इसलिए अपने मध्यमकालिक राजकोषीय नीति में राज्य सरकार ने वर्ष 2023–24 के वास्तविक कुल देनदारियों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 38.94 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2025–26 के बजट में घटाकर 37.04 प्रतिशत करने का अनुमान किया है । पुनः वर्ष 2027–28 में कुल देनदारियों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 34.91 प्रतिशत करने का लक्ष्य है ।

इस प्रकार राज्य सरकार ने अनुशासित एवं समेकित राजकोषीय प्रबंधन का परिचय देते हुए उच्च आर्थिक विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मध्यमकालिक राजकोषीय नीति द्वारा राजस्व बचत करके तथा राजकोषीय घाटा को नियमित कर रोजगारोन्मूख राजकोषीय नीति का पहल किया है ।

## क. राजकोषीय संकेतक :– चल लक्ष्य

(राशि करोड़ रुपये में)

| क्र० सं० | राजकोषीय संकेतक | पूर्व वर्ष (Y-2) वास्तविक | चालू वर्ष (Y-1) बजट प्राक्कलन | आगामी वर्ष (Y) बजट प्राक्कलन | आगामी दो वर्षों के लिए लक्ष्य वर्ष (Y+1) | वर्ष (Y+2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 | 2027–28 |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| क. | राजस्व घाटा | -2833.06 | -1121.40 | -8831.18 | -9714.30 | -10685.73 |
| ख. | सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा/आधिक्य | -0.33 | -0.11 | -0.80 | -0.79 | -0.77 |
| ग. | राजकोषीय घाटा | 35659.89 | 29095.42 | 32718.31 | 37072.50 | 41703.99 |
| घ. | सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा | 4.17 | 2.98 | 2.98 | 3.00 | 3.00 |
| ड. | प्राथमिक घाटा | 18054.09 | 8569.23 | 9704.37 | 12058.56 | 14690.05 |
| च. | सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में प्राथमिक घाटा/आधिक्य | 2.11 | 0.88 | 0.90 | 1.02 | 1.24 |
| छ. | ऋण भंडार | 332740.90 | 362036.32 | 406476.12 | 443548.62 | 485252.61 |
| ज. | सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में कुल ऋण भंडार | 38.94 | 37.07 | 37.04 | 35.89 | 34.91 |
| झ. | सरकारी प्रतिभूतियाँ (गारंटी) | 26715.26 | 26715.26 | 26715.26 | 26715.26 | 26715.26 |
| ञ. | राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में वेतन, पेंशन एवं ब्याज का योग | 36.34 | 42.01 | 42.59 | 42.37 | 42.10 |

राजकोषीय संकेतक का पूर्वानुमान :–

(1) राजस्व प्राप्तियाँ :–

(क) **कर–राजस्व** :– कर राजस्व में राज्य के स्वयं का कर राजस्व तथा केन्द्रीय करों का अंतरण सम्मिलित है । वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए केन्द्रीय कर राजस्व में राज्य का हिस्सा 1,38,515.85 करोड़ रुपये अनुमानित है । वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य सरकार के अपने कर राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 59,520 करोड़ रुपये है जिसमें वाणिज्य–कर विभाग से 46,500.00 करोड़ रुपये, निबंधन विभाग से 8,250.00 करोड़ रुपये, परिवहन विभाग से 4,070.00 करोड़ रुपये एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से 700.00 करोड़ रुपये का संग्रहण अनुमानित है ।

(ख) **कर–भिन्न राजस्व** :– वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए राज्य का कर–भिन्न राजस्व 8,220.57 करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसमें मुख्यतः खनन एवं भूतत्त्व मद से 3,850.00 करोड़ रुपये, ब्याज प्राप्ति मद में 2,474.90 करोड़ रुपये एवं 825.14 करोड़ रुपये झारखण्ड राज्य सरकार से 14 नवम्बर 2000 के पूर्व सेवा निवृत्त कर्मियों को भुगतान की गयी पेंशन की दायित्व की राशि से प्राप्त होनी है ।

(ग) **कुल कर राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर राजस्व का हिस्सा** :– कुल कर राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर राजस्व का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2024–25 में 54,300.00 करोड़ रुपये अनुमानित है और वित्तीय वर्ष 2025–26 में 59,520.00 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान किया गया है । वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के कुल कर–राजस्व में अपने कर–राजस्व का हिस्सा 30.05 प्रतिशत अनुमानित है ।

(घ) **कर–भिन्न राजस्व** :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में कर–भिन्न राजस्व 8,220.57 करोड़ रुपये होने की संभावना है, जो वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट अनुमान 7,325.86 करोड़ रुपये से 894.71 करोड़ रुपये अधिक है ।

(2) पूंजीगत प्राप्तियाँ :–

वित्तीय वर्ष 2025–26 में पूंजीगत प्राप्तियां 56,263.19 करोड़ रुपये होने की संभावना है, जो वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट अनुमान 52,127.31 करोड़ रुपये से 4,135.88 करोड़ रुपये अधिक है ।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभिन्न स्रोतों से ऋण की उपलब्धता निम्नानुसार रहेगी :–

(क) **केन्द्र से उधार तथा अग्रिम** :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में बाह्य सम्पोषित परियोजनाओं के मद में बाह्य एजेंसियों से 1,079.75 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है ।

(ख) **बाजार ऋण** :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में बाजार ऋण के अंतर्गत 51,758.04 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है । उल्लेखनीय है कि बाजार ऋण की उगाही भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई के माध्यम से की जाती है ।

(ग) **वित्तीय संस्थानों से उधार** :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में नाबार्ड से 2,500 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय आवास बैंक से 200 करोड़ रुपये एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से 200 करोड़ रुपये ऋण प्राप्त होने का अनुमान है । उल्लेखनीय है कि यह ऋण जिन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत होता है उन परियोजनाओं के कार्य की अद्यतन प्रगति के आधार पर ऋण प्राप्त होता है । यह ऋण प्राप्ति का सबसे सस्ता स्रोत है ।

(घ) **उधारों तथा अग्रिमों की वसूली** :–31 मार्च 2024 तक राज्य का 27,249.57 करोड़ रुपये उधार तथा अग्रिम बकाया है । उधार एवं अग्रिम का बड़ा भाग (16,118.02 करोड़ रुपये) ऊर्जा प्रक्षेत्र को उपलब्ध कराये गये उधार का बकाया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में ऋणों की वसूली अन्तर्गत 525.40 करोड़ रुपये अनुमानित है ।

(ङ) **बकाया दायित्व–लोक ऋण तथा अन्य दायित्व** :– वित्तीय वर्ष 2023–24 की वास्तविकी के अनुसार मार्च 2024 की समाप्ति पर लोक ऋण 2,80,083.89 करोड़ रुपये है । राज्य के अन्य दायित्व (लोक लेखा में अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आरक्षित निधियाँ एवं जमा एवं पेशगियाँ) 52,657.01 करोड़ रुपये हैं । इन दोनों को शामिल करने के उपरांत 31 मार्च 2024 को कुल बकाया दायित्व 3,32,740.90 करोड़ रुपये का है ।

(3) कुल व्यय :–

राज्य सरकार के कुल व्यय को राजस्व तथा पूंजीगत लेखे में वर्गीकृत किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट प्राक्कलन के अनुसार स्कीम व्यय के अन्तर्गत राजस्व व्यय 74,905.31 करोड़ रुपये एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राजस्व व्यय 1,77,094.95 करोड़ रुपये कुल 2,52,000.26 करोड़ रुपये अनुमानित है ।

(क) **राजस्व लेखा** :– राजस्व लेखा के अंतर्गत मुख्यतः वेतन, पेंशन तथा ब्याज भुगतान शामिल है ।

**(i) वेतन** :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में वेतन मद (सामान्य वेतन, संविदागत वेतन एवं सहायक अनुदान वेतन) में कुल 81,473.45 करोड़ रुपये के भुगतान का अनुमान है ।

**(ii) ब्याज भुगतान** :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में 23,013.94 करोड़ रुपये का ब्याज भुगतान अनुमानित है ।

**(iii) पेंशन** :– पेंशन मद में वित्तीय वर्ष 2025–26 में 33,389.43 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है ।

(ख) **पूंजीगत लेखा** :– पूंजीगत लेखा के अंतर्गत मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय, लोक ऋण तथा उधार एवं अग्रिम शामिल है ।

**(i)** **पूंजीगत परिव्यय** :– राज्य के पूँजीगत परिव्यय का उपयोग मुख्यतः सड़क, भवन, विद्युत तथा सिंचाई जैसी अधिसंरचनाओं के विकास हेतु किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2025–26 में पूंजीगत परिव्यय अन्तर्गत 40,531.84 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है ।

**(ii)** **लोक ऋण** :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में लोक ऋण में 22,819.87 करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसमें राज्य के आंतरिक ऋण के विरूद्ध 21,124.91 करोड़ रुपये की राशि और केन्द्र सरकार से लिए गये कर्ज तथा अग्रिम के मद में 1,694.96 करोड़ रुपये का व्यय अनुमान है ।

**(iii)** **उधार तथा अग्रिम** :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में उधार तथा अग्रिम मद में 1,543.05 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है ।

(4) राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) :–

योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 का राज्य सकल घरेलू उत्पाद (आधार वर्ष 2011–12) 10,97,264.00 करोड़ रुपये अनुमानित है । वित्तीय वर्ष 2023–24 की वास्तविकी में राज्य सकल घरेलू उत्पाद 8,54,429.00 करोड़ रुपये है ।

(5) संवहनीयता का निर्धारण :–

**(i)** **सामान्य प्राप्तियों एवं व्यय तथा विशेषकर राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के मध्य संतुलन** :– राजकोषीय अधिनियम में विचारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि कुल व्यय, विशिष्टतः राजस्व व्यय की अपेक्षा राजस्व प्राप्तियों की दर में अधिक तेजी से वृद्धि हो । वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट अनुमान के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति जी०एस०डी०पी० का 23.22 प्रतिशत है तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 में इसके 23.77 प्रतिशत रहने की संभावना है । वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट अनुमान में राज्य के अपने कर राजस्व का जी०एस०डी०पी० से अनुपात 5.56 प्रतिशत है और वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अनुमान में इसके 5.42 प्रतिशत रहने की संभावना है । वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट अनुमान के लिए केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से का जी०एस०डी०पी० से अनुपात 11.57 प्रतिशत है और यह वित्तीय वर्ष 2025–26 बजट अनुमान में 12.62 प्रतिशत संभावित है ।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट अनुमान में ब्याज भुगतान तथा कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 9.05 प्रतिशत अनुमानित है, जिसके वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अनुमान में 8.82 प्रतिशत हो जाने की संभावना है ।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अनुमान के अनुसार कुल ऋण दायित्व का राज्य सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात 37.04 प्रतिशत अनुमानित है ।

**(ii)** **स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के राजस्व व्यय में वृद्धि का अनुमान** :– वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट प्राक्कलन के अनुसार 40,559.34 करोड़ रुपये व्यय की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट प्राक्कलन में वेतन मद में 51,690.34 करोड़ रुपये व्यय होने

का अनुमान किया गया है । वेतन में वृद्धि का कारण नई नियुक्तियाँ, मानदेय में वृद्धि एवं उच्चतर कार्यकारी प्रभार है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट प्राक्कलन के अनुसार 31,796.13 करोड़ रुपये व्यय की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट प्राक्कलन में पेंशन मद में 33,389.43 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

राज्य द्वारा राजकोषीय घाटे को सीमित रखने तथा आवश्यकता के आलोक में ऋण लेने के कारण ब्याज भुगतान में वृद्धि नियंत्रित रही है । वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट प्राक्कलन के अनुसार 20,526.19 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025–26 में ब्याज भुगतान मद में 23,013.94 करोड़ रुपये भुगतान किये जाने का अनुमान है ।

**(iii)** **पूँजीगत प्राप्तियाँ जिसमें बाजार ऋण भी सम्मिलित हैं, का उत्पादक आस्तियों के सृजन के लिये उपयोग** :– राज्य के द्वारा राजस्व बचत की स्थिति वित्तीय वर्ष 2004–05 में ही प्राप्त कर ली गई थी एवं लगातार राजस्व बचत की स्थिति बनाये रखी गई है । पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार आर्थिक एवं सामाजिक संरचनाओं को सुदृढ़ करने हेतु यथा सिंचाई, सड़क तथा पुलों, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के निर्माण में किया जा रहा है । आधारभूत क्षेत्रों में लोक निवेश को और बढ़ाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है ।

**(iv)** **आगामी दस वर्षों हेतु पेंशन के दायित्व की गणना** :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में पेंशन मद में 33,389.43 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है । वित्तीय वर्ष 2025–26 से आगे के वर्षों के लिए 9 प्रतिशत की वृद्धि दर को आधार मानकर आकलन किया गया है ।

तालिका ख. 3 : अगले 10 वर्षो के लिए प्राक्कलित वार्षिक पेंशन दायित्व का ब्यौरा

| वर्ष | राशि करोड़ रुपये में |
|---|---|
| 2023-24 | 24290.92 |
| 2024-25 | 31796.13 |
| 2025-26 | 33389.43 |
| 2026-27 | 36394.48 |
| 2027-28 | 39669.98 |
| 2028-29 | 43240.28 |
| 2029-30 | 47131.91 |
| 2030-31 | 51373.78 |
| 2031-32 | 55997.42 |
| 2032-33 | 61037.18 |
| 2033-34 | 66530.53 |
| 2034-35 | 72518.28 |

## अनुसूची–3
## राजकोषीय नीति युक्ति विवरण

(1) **राजकोषीय नीति अवलोकन** :– राज्य की राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्य में पूँजीगत व्यय को बढ़ाना है, जिससे सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना में निवेश किया जा सके । इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी । साथ ही समावेशी विकास की अवधारणा को सम्मिलित करते हुए सामाजिक क्षेत्रों में भी राजस्व व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है । इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना एवं अनुत्पादक गैर–योजना राजस्व व्यय को घटाना आवश्यक है । पूर्व के वर्षों में आर्थिक विकास की दर में सुधार होने के कारण कर–संग्रहण में वृद्धि देखी गई है ।

बजट अनुमान के अनुसार राज्य की राजस्व प्राप्तियों में वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट अनुमान की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अनुमान में 15.01 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है । राज्य के अपने कर–राजस्व में वित्तीय वर्ष 2024–25 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025–26 में 9.61 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है । कर–भिन्न राजस्व में वित्तीय वर्ष 2024–25 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025–26 में 12.21 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है ।

राज्य का राजस्व बचत वित्तीय वर्ष 2024–25 (बजट अनुमान) 1,121.41 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025–26 में 8,831.18 करोड़ रुपये अनुमानित है तथा राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2024–25 (बजट अनुमान) 29,095.42 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025–26 में 32,718.30 करोड़ रुपये अनुमानित है । राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2025–26 (बजट अनुमान) के सकल राज्य घरेलू उत्पाद 10,97,264 करोड़ रुपये (आधार वर्ष 2011–12) का 2.98 प्रतिशत है, जो बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2022 की निर्धारित सीमा 3.0 प्रतिशत के अन्तर्गत है ।

(2) **आगामी वित्तीय वर्ष के लिये राजकोषीय नीति** :– चूंकि भारत सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जी०एस०टी०) अधिनियम 2017 में लागू किया गया है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा भी बिहार राज्य में जी०एस०टी० अधिनियम को राज्य के विधान मंडल से पारित कराने के उपरांत लागू किया गया है और इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिए समय–समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

(अ) **व्यय नीतिः**– स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में अनुत्पादक व्यय में कमी करना, वार्षिक स्कीम व्यय में वृद्धि करना, केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से अधिक से अधिक राशि प्राप्त कर उक्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है ।

राज्य की बजट प्रस्तुतीकरण व्यवस्था में लागू किए गये कुछ अन्य सुधार निम्नानुसार हैं :–

**(क) परिणाम बजट** :– राज्य सरकार द्वारा वित्तीय प्रावधानों के माध्यम से महत्वपूर्ण भौतिक परिणाम दर्शाने के लिए ''परिणाम बजट'' की पहल वित्तीय वर्ष 2006–07 में शुरू की गयी थी । इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए ''परिणाम बजट'' विधान मंडल में प्रस्तुत किया जायेगा ।

**(ख) जेण्डर बजट** :– महिला सशक्तीकरण के प्रति सरकार की वचनबद्धता ''जेण्डर बजट'' से परिलक्षित होती है । ''जेण्डर बजट'' के अन्तर्गत महिलाओं को लाभन्वित करने वाली प्रमुख योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिससे इनका उचित वर्गीकरण तथा बेहतर लक्ष्य का निर्धारण किया जा सके । ''जेण्डर बजट'' वित्तीय वर्ष 2008–09 से प्रस्तुत किया जा रहा है । इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु भी ''जेण्डर बजट'' विधान मंडल में प्रस्तुत किया जायेगा ।

**(ग) बाल कल्याण बजट** :– राज्य की जनसंख्या में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का महत्वपूर्ण अनुपात है एवं राज्य सरकार उनके कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है । **''बाल कल्याण बजट पुस्तिका''** के अन्तर्गत बच्चों के कल्याण की योजनाओं पर व्यय की जाने वाली राशि का विवरण अंकित होता है ।

''बाल कल्याण बजट पुस्तिका'' वित्तीय वर्ष 2013–14 से प्रस्तुत किया जा रहा है । इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु भी ''बाल कल्याण बजट पुस्तिका'' विधान मंडल में प्रस्तुत किया जायेगा ।

**(घ) उपलब्धि प्रतिवेदन** :– वित्तीय वर्ष 2006–07 से उपलब्धि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की परिपाटी रही है । उपलब्धि प्रतिवेदन एक ऐसा माध्यम है, जिससे व्यय के उपरान्त समीक्षा द्वारा व्यय की उपयोगिता, सरकार के वित्तीय संव्यवहारों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सकता है । प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत संबंधित वित्तीय वर्ष का उपलब्धि प्रतिवेदन तैयार कर जून/जुलाई माह में होने वाले विधान मंडल के सत्र में प्रस्तुत किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2024–25 का उपलब्धि प्रतिवेदन जून/जुलाई माह में होने वाले विधान मंडल के सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा ।

**(ड.) हरित (ग्रीन) बजट** :– हरित बजट का अर्थ है बजटीय नीति निर्माण के साधनों का उपयोग करके पर्यावरण एवं जलवायु संबंधी लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करना। इसमें बजटीय और राजकोषीय नीतियों के पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन शामिल है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को क्षेत्रिय स्तर तक लाने तथा उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने हेतु बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 से प्रस्तुत हरित बजट को एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा सकता है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु भी हरित बजट विधान मंडल में प्रस्तुत किया जायेगा ।

**ऋण एवं आकस्मिक दायित्व** :– राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–05 से राजस्व आधिक्य की स्थिति प्राप्त की जा चुकी है, तत्पश्चात निरन्तर राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी हुई है । इसके परिणामस्वरूप पूंजी निवेश हेतु ऋण पर निर्भरता कम करते हुए पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा सकी है । वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में आन्तरिक ऋण एवं केन्द्र सरकार के ऋणों की वापसी के लिए ''निक्षेप निधि'' का गठन किया गया है । 31 मार्च, 2024 तक इस निक्षेप निधि में ब्याज सहित जमा राशि 10486.99 करोड़ रुपये है ।

(3) आगामी वित्तीय वर्ष के लिये कार्यनीति एवं प्राथमिकताएँ :–

(क) खेल से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यनीति :–

1. मनरेगा योजना से खेल मैदान का निर्माण :–

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने एवं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को खेल–कूद के पर्याप्त अवसर प्रदान करने हेतु खेल–कूद की आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए मनरेगा से ग्राम पंचायतों में खेल मैदान विकसित किये जा रहे हैं ।

खेल मैदान के विकास के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और उत्साहवर्द्धन भी होगा। खेल मैदान विकसित होने से युवाओं के बीच खेल प्रतियोगिताओं और प्रतिस्पर्धाओं के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही खेल मैदान के विकास के क्रम में ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

बिहार राज्य के 8053 ग्राम पंचायतों में एक–एक खेल मैदान का निर्माण किये जाने का लक्ष्य है। सभी खेल मैदानों के निर्माण का बजट 804.36 करोड़ रुपये का है और लगभग 52.74 लाख मानव दिवस का सृजन किया जायेगा। इसी क्रम में प्रथम चरण में खेल मैदान निर्माण का कार्य 533 प्रखंडों अंतर्गत 5671 ग्राम पंचायतों में कुल 6859 खेल मैदान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें कुल 654.50 करोड़ रुपये का व्यय सन्निहित है। इस निर्माण कार्य में लगभग 41.00 लाख मानव दिवस का सृजन होगा।

2. **प्रखण्ड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम का निर्माण** :– मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत राज्य में खेल का वातावरण तैयार करने एवं खेल के विकास हेतु खेल अवसंरचना विकसित करने के क्रम में विभिन्न जिलों के प्रखण्ड स्तर पर आउटडोर स्टेडियम निर्माण हेतु अब तक कुल 370 स्टेडियम निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें से 229 स्टेडियमों के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 77 स्टेडियम निर्माणाधीन है एवं शेष 64 आउटडोर स्टेडियम का निर्माण प्रारंभ करने की कार्रवाई चल रही है।

3. **राज्य के सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल अवसंरचना का निर्माण** :– राज्य के सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल अवसंरचना के निर्माण हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों की जनसंख्या, स्थानीय स्तर पर प्रचलित खेल विधा को दृष्टिगत रखते हुए आधारभूत संरचनाओं को विकसित किया जायेगा। इसमें सभी प्रचलित खेल विधा हेतु खेल मैदान के अतिरिक्त खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, दल प्रबंधकों एवं तकनीकी पदाधिकारियों के लिए आवासन एवं अन्य सुविधाएं होगी। इसके अन्तर्गत सभी प्रमंडलीय मुख्यालय खेल अवसंरचना के निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी से 15–20 एकड़ की भूमि प्रतिवेदन प्राप्त किया जा चुका है तथा पटना प्रमंडल अंतर्गत पुनपुन प्रखण्ड में कुल 100 एकड़ भुखण्ड चिन्हित कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।

4. **राज्य खेल अकादमी–सह–अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम** :– राजगीर में 90 एकड़ भूमि पर राज्य खेल अकादमी–सह–अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कुल 740 करोड़ रुपये की लागत से कार्य प्रगति पर है । इस योजनान्तर्गत दिसंबर, 2024 तक कुल 574.00 करोड़ रुपये व्यय का एवं 70 प्रतिशत निर्माण का कार्य सम्पन्न किया जा चुका है। जून–2025 तक योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य है।

दिनांक–29.08.2024 को श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के कर कमलों द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का विधिवत् उद्घाटन किया गया है । बिहार में पहली बार माह नवंबर, 2024 में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के एशियन हॉकी चैम्पियनशीप (महिला)–2024 का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया, जिसमें एशिया के 06 अग्रणी देश शामिल हुए। इस चैम्पियनशीप में भारत की महिला टीम ने टूर्नामेंट में अजेय रहते हुए एशियन चैम्पियनशीप हॉकी का खिताब हासिल किया।

5. **मोईनुलहक स्टेडियम** :– मोईनुलहक स्टेडियम, पटना के पुनर्निर्माण तथा संचालन हेतु खेल विभाग, बिहार सरकार, पटना के संकल्प संख्या–1637 दिनांक–23.10.2024 द्वारा भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) को लीज पर हस्तांतरित किया गया है। उक्त स्टेडियम के पुनर्निर्माण के उपरांत राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट प्रतियोगिताओं के आयोजन का अवसर मिलेगा साथ ही खेल के विकास को भी बल मिलेगा एवं राज्य की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।

6. **मल्टी जिम, ओपेन जिम उपकरण एवं खेल उपकरण** :— मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत मल्टी जिम, ओपेन जिम उपकरण एवं खेल उपकरणों के अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है।

7. **खेल भवन—सह—व्यायामशाला भवन निर्माण** :— खेल विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में जिला खेल पदाधिकारी का कार्यालय एवं जिलों में प्रतिस्पर्धात्मक इण्डोर खेलों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने एवं शारीरिक सौष्ठवता के लिए अत्याधुनिक मल्टी जिम उपकरण यथा कुश्ती मैट/ताइक्वाण्डों मैट आदि उपलब्ध कराते हुए प्रशिक्षण देने की योजना है।

इस योजनान्तर्गत अब तक कुल 25 जिलों में खेल भवन—सह—व्यायामशाला के निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा कुल 07 जिलों में यथा— गोपालगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मुंगेर, बेगूसराय, वैशाली में प्रति 10.31 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है तथा शेष 06 जिलों में खेल भवन—सह—व्यायामशाला के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

8. **मशाल प्रतिभा खोज अभियान** :— मशाल प्रतिभा खोज अभियान कार्यक्रम माह नवंबर, 2024 से प्रारम्भ की गई है । इस योजनान्तर्गत राज्य के प्रत्येक मध्य विद्यालय एवं उच्च विद्यालय के बालक एवं बालिकाओं, जिनकी उम्र सीमा क्रमशः 14 वर्ष एवं 16 वर्ष है, के लिए विद्यालय स्तर से राज्य स्तर तक खेल प्रतियोगिता करायी जा रही है। इसमें मुख्यतः 01) एथलेटिक्स 02) फुटबॉल 03) कबड्डी 04) बॉलीवॉल 05) साईक्लिंग शामिल है। इस अभियान में खिलाड़ियों को प्रत्येक स्तर पर नगद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान की जायेगी।

(ख) बिहार हरित विकास कोष :—

1. राज्य में बिहार हरित विकास कोष का गठन किया जा रहा है, जिसमें प्रारंभिक सीड फंडिंग के रूप में राज्य सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा । यह कोष सीड फंडिंग की तुलना मे कई गुना निवेश को आकर्षित करेगा, जो बिहार को जलवायु अनुकूलन एवं कार्बन न्यूट्रल बनाने में मदद करेगा ।

2. राज्य स्तर पर अपनी तरह का यह पहला कोष होगा । यह कोष जलवायु वित्त को गतिशील करने में बिहार के नेतृत्व और हाल ही में स्वीकृत जलवायु अनूकूलन एवं न्यून कार्बन विकास पद्धति को लागू करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है ।

3. सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के साथ मिश्रित करके, यह कोष राज्य की चुनौतियों को अवसरों में बदल देगा । चाहे वह कृषि को जलवायु अनुकूल बनाना हो, स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ना हो या युवाओं के लिए हरित रोजगार का सृजन करना हो ।

4. बिहार हरित विकास कोष ''**हरित बिहार–समृद्ध बिहार**'' की दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक प्रगति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा ।

5. यह पहल बिहार को भारत के अग्रिम राज्यों में स्थापित करेगा । यह कोष अपने किसानों की रक्षा करने, समुदायों को सशक्त बनाने और भावी पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य बनाने के लिए नवीन वित्तीय समाधान विकसित करेगा।

**(ग) पर्यावरण संरक्षण :–**

महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में 1.50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

**(घ) आधारभूत संरचनाओं का विकास :–**

(1) प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय–सह–आवासीय भवन का निर्माण

पूर्व के जीर्ण–शीर्ण प्रखंड भवनों में से प्राथमिकता के आधार पर कुल 82 प्रखंड कार्यालय–सह–आवासीय भवन, निरीक्षण कमरा एवं परिसर के निर्माण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें से 71 प्रखंड में प्रखंड कार्यालय–सह–आवासीय भवन, निरीक्षण कमरा एवं परिसर विकास योजना के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं अन्य शेष 11 प्रखंडों में कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य के कुल 246 जर्जर अथवा गैर मरम्मति योग्य कार्यालय भवन के कारण नये प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय भवन के निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर प्रति प्रखंड राशि 1662.10 लाख (सोलह करोड़ बासठ लाख दस हजार) रुपये एवं 62 भवनहीन प्रखंडों में प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय–सह–आवासीय परिसर के निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर प्रति प्रखंड राशि 3074.17 लाख (तीस करोड़ चौहत्तर लाख सत्रह हजार) रुपये की दर से कुल राशि 599475.14 लाख (उनसठ अरब चौरानबे करोड़ पचहत्तर लाख चौदह हजार) रुपये की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

## अनुसूची–4

## राजकोषीय पारदर्शिता के लिए प्रकटन

### क. राजकोषीय स्थिति का चयनित संकेतक

(राशि करोड़ रुपये में)

| क्र० सं० | मद | वास्तविकी | | | बजट अनुमान | लक्ष्य | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 वर्ष पूर्व 2021–22 | 2 वर्ष पूर्व 2022–23 | 1 वर्ष पूर्व 2023–24 | चालू वर्ष 2024–25 | आगामी 1 वर्ष 2025–26 | आगामी 2 वर्ष 2026–27 | आगामी 3 वर्ष 2027–28 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | सकल राज्य घरेलू उत्पाद | 675448.00 | 751396.00 | 854429.00 | 976514.00 | 1097264.00 | 1235750.00 | 1390133.00 |
| 2. | राजस्व बचत | -422.38 | -11288.21 | 2833.06 | 1121.41 | 8831.18 | 9714.30 | 10685.73 |
| 3. | राजकोषीय घाटा | 25551.26 | 44823.30 | 35659.89 | 29095.43 | 32718.31 | 37072.50 | 41703.99 |
| 4. | वर्ष के अन्त में लोक ऋण अधिशेष | 208913.30 | 242845.73 | 280083.89 | 309379.31 | 353819.11 | 390891.61 | 432595.60 |
| 5. | कर राजस्व | 126207.16 | 139527.59 | 161965.18 | 167311.92 | 198035.85 | 217839.44 | 239623.38 |
| 6. | सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व बचत | -0.06 | -1.50 | 0.33 | 0.11 | 0.80 | 0.79 | 0.77 |
| 7. | सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा | 3.78 | 5.97 | 4.17 | 2.98 | 2.98 | 3.00 | 3.00 |
| 8. | सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल कर राजस्व | 18.68 | 18.57 | 18.96 | 17.13 | 18.05 | 17.63 | 17.24 |
| 9. | सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण | 30.93 | 32.32 | 32.78 | 31.68 | 32.25 | 31.63 | 31.12 |

| वर्ष | विभाग / मंत्रालय | पत्रांक | दिनांक |
|---|---|---|---|
| 2021-22 | वित्त मंत्रालय, भारत सरकार | पत्रांक–रा०आ०(वि०)-05/2021/1449 | 29/09/2022 |
| 2022-23 | योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) | पत्रांक–रा0आ0(वि0)-05/2021/1141 | 25/09/2023 |
| 2023-24 | योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) | पत्रांक–रा०आ०(वि०)-05/2021/1348 | 04/10/2024 |
| 2024-25 | योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) | पत्रांक–रा0आ0(वि0)-05/2021/1141 | 25/09/2023 |
| 2025-26 | योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) | पत्रांक–रा0आ0(वि0)-05/2021/1348 | 04/10/2024 |

## ख. राज्य सरकार के दायित्व के घटकों का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

| क्र० सं० | प्रवर्ग | पूर्ववर्त्ती वर्ष 1 अप्रैल 2023 को शेष राशि | वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्ति | | | वित्तीय वर्ष के दौरान वापसी | | | शेष राशि (31 मार्च) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | पूर्ववर्त्ती वर्ष (वास्तविकी) 2023–24 | चालू वर्ष (बजट अनुमान) 2024–25 | आगामी वर्ष (बजट अनुमान) 2025–26 | पूर्ववर्त्ती वर्ष (वास्तविकी) 2023–24 | चालू वर्ष (बजट अनुमान) 2024–25 | आगामी वर्ष (बजट अनुमान) 2025–26 | पूर्ववर्त्ती वर्ष (वास्तविकी) 2023–24 | चालू वर्ष (बजट अनुमान) 2024–25 | आगामी वर्ष (बजट अनुमान) 2025–26 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | आन्तरिक ऋण | 208098.11 | 49545.76 | 49188.14 | 54658.04 | 21438.71 | 20622.00 | 21124.91 | 236205.16 | 264771.30 | 298304.43 |
| (i) | बाजार उधार | 184275.11 | 47612.00 | 45888.14 | 51758.04 | 17469.06 | 16423.11 | 17500.05 | 214418.05 | 243883.08 | 278141.07 |
| (ii) | एन.एस.एस. एफ. को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ | 12077.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1888.35 | 1888.35 | 1439.18 | 10188.91 | 8300.56 | 6861.38 |
| (iii) | वित्तीय संस्थानों / बैंकों से ऋण इत्यादि | 9776.22 | 1933.76 | 3300.00 | 2900.00 | 1848.11 | 2077.24 | 1952.40 | 9861.87 | 11084.63 | 12032.23 |
| (iv) | बन्ध पत्र | 1962.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.19 | 233.30 | 233.28 | 1728.88 | 1495.58 | 1262.30 |
| (v) | अन्य ऋण | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
| (vi) | भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय / अधिविकर्षण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **कुल आन्तरिक ऋण** | **208098.11** | **49545.76** | **49188.14** | **54658.04** | **21438.71** | **20622.00** | **21124.91** | **236205.16** | **264771.30** | **298304.43** |
| 2. | केन्द्र से ऋण | 34747.62 | 10671.78 | 2500.00 | 1079.75 | 1540.67 | 1770.72 | 1694.96 | 43878.73 | 44608.01 | 55514.68 |
| | **कुल लोक ऋण** | **242845.73** | **60217.54** | **51688.14** | **55737.79** | **22979.38** | **22392.72** | **22819.87** | **280083.89** | **309379.31** | **353819.11** |
| 3. | लोक लेखा (अन्य दायित्व) | 50461.44 | 102507.65 | 82945.86 | 103350.10 | 100312.08 | 82945.86 | 103350.10 | 52657.01 | 52657.01 | 52657.01 |
| | **योग** | **293307.17** | **162725.19** | **134634.00** | **159087.89** | **123291.46** | **105338.58** | **126169.97** | **332740.90** | **362036.32** | **406476.12** |

ग. ऋण/जमा संग्रहण पर ब्याज मूल्य का विवरण :–

(राशि करोड़ रुपये में)

| क्र. सं | कोटि | वित्तीय वर्ष अंतर्गत उगाही | | बकाया राशि (31 मार्च तक) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पूर्ववर्ती वर्ष (वास्तविकी) | चालू वर्ष (बजट अनुमान) | पूर्ववर्ती वर्ष (वास्तविकी) | चालू वर्ष (बजट अनुमान) |
| | | 2023-24 | 2024-25 | 2023-24 | 2024-25 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | बाजार से उधार एवं अन्य प्रतिभूतियाँ | 47612.00 | 45888.14 | 216146.93 | 245378.66 |
| 2. | केन्द्र से ऋण | 10671.78 | 2500.00 | 43878.73 | 44608.01 |
| 3. | एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ | 0.00 | 0.00 | 10188.91 | 8300.56 |
| 4. | वित्तीय संस्थानों/बैंकों से ऋण | 1933.76 | 3300 | 9869.32 | 11092.08 |
| 5. | रिजर्व बैंक से अर्थोपाय/अधिविकर्षण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | लघु बचत, भविष्य निधि आदि | 2415.84 | 2550.00 | 9141.12 | 9241.12 |
| 7. | आरक्षित निधि | 3863.27 | 4845.86 | 3849.32 | 3949.32 |
| 8. | जमा | 96228.54 | 75550.00 | 39666.57 | 39466.57 |
| 9 | कुल | **162725.19** | **134634.00** | **332740.90** | **362036.32** |

## घ. सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विवरण :–

(राशि करोड़ रुपये में)

| प्रक्षेत्र (गारंटियों की संख्या कोष्ठक के अंदर) | गारंटी की अधिकतम राशि (31 मार्च 2024 तक) | | वर्ष 2023–24 के प्रारंभ में बकाया | | वर्ष 2023–24 के दौरान वृद्धियाँ | वर्ष 2023–24 के दौरान विलोपन (मांग को छोड़कर) | वर्ष 2023–24 के दौरान लागू | | वर्ष 2023–24 के अंत में बकाया | | गारंटियों का कमीशन या शुल्क | | अन्य विषय क विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मूलधन | ब्याज | मूलधन | ब्याज | | | मुक्त किया गया | मुक्त नहीं किया गया | मूल | ब्याज | प्राप्ति योग्य | प्राप्त | |
| (1) | (2) | | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | | (9) | (10) | (11) |
| पावर (3) | | | | | | | | | | | | | |
| बिहार राज्य पावर जेनरेशन कंपनी लि० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० | 7942.38 | 86.42 | 5488.27 | 98.33 | 920.40 | 133.27 | 0.00 | 0.00 | 6275.41 | 86.42 | 0.00 | 0.00 | |
| नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० | 8340.16 | 24.66 | 4319.68 | 10.07 | 1034.00 | 91.21 | 0.00 | 0.00 | 5262.47 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | |
| बिहार राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी लि० | 5368.72 | 1147.05 | 3200.00 | 453.54 | 2168.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5368.72 | 1147.05 | 0.00 | 0.00 | |
| जोड़ | **21651.26** | **1258.13** | **13007.96** | **561.93** | **4123.12** | **224.48** | **0.00** | **0.00** | **16906.60** | **1258.13** | **0.00** | **0.00** | |
| सहकारिता (5) | | | | | | | | | | | | | |
| क्रेडिट सहकारिता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| बिहार राज्य दुग्ध सहकारिता फेडरेशन, पटना (कॉम्फेड) | 540.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| आवास सहकारिता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| बिहार राज्य भण्डारण निगम | 178.00 | 0.00 | 104.38 | 0.00 | 0.00 | 14.91 | 0.00 | 0.00 | 89.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| बिहार राज्य सहकारी बैंक लि० | 8000.00 | 0.00 | 3500.00 | 48.52 | 800.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | |
| जोड़ | **8718.40** | **0.00** | **3604.38** | **48.52** | **800.00** | **4014.91** | **0.00** | **0.00** | **389.47** | **3.89** | **0.00** | **0.00** | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सिंचाई (1) | | | | | | | | | | | | | |
| बिहार राज्य पहाड़ी क्षेत्र उद्‌वह सिंचाई निगम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| जोड़ | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| बिहार राज्य सड़क विकास निगम लि० | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| जोड़ | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| राज्य वित्तीय निगम (1) | | | | | | | | | | | | | |
| बिहार राज्य वित्तीय निगम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| जोड़ | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| शहरी विकास तथा आवास (1) | | | | | | | | | | | | | |
| बिहार राज्य आवास बोर्ड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| जोड़ | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| अन्य आधारभूत संरचनाएं (5) | | | | | | | | | | | | | |
| बिहार राज्य जल परिषद | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| क्षेत्रीय विकास प्राधिकार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| बिहार राज्य लघु उद्योग निगम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| बिहार राज्य चीनी निगम लि0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| बिहार औषध तथा रसायन लि0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| जोड़ | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| कोई अन्य (10) | | | | | | | | | | | | | |
| बिहार राज्य कृषि विकास परिषद | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| बिहार राज्य खाद्य एवं सिविल आपूर्ति निगम | 20000.00 | 0.00 | 8598.98 | 54.03 | 21436.22 | 20652.77 | 0.00 | 0.00 | 9382.43 | 35.19 | 7.75 | 36.05 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| बिहार राज्य बीज निगम लि0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम, पटना | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 21.33 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | |
| बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम | 25.00 | 0.00 | 15.43 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.43 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | |
| बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लि0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति विकास निगम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| जोड़ | **20055.00** | **0.00** | **8644.41** | **72.05** | **21436.22** | **20661.44** | **0.00** | **0.00** | **9419.19** | **63.68** | **7.75** | **36.05** | |
| कुल जोड़ | **50424.66** | **1258.13** | **25256.75** | **682.50** | **26359.34** | **24900.83** | **0.00** | **0.00** | **26715.26** | **1325.69** | **7.75** | **36.05** | |

ङ दायित्वों एवं आस्तियों का विवरण :— (राशि करोड़ रुपये में)

| 31.03.2023 की स्थिति | दायित्व एवं आस्तियाँ | 31.03.2024 की स्थिति |
|---|---|---|
| | दायित्व | |
| **208098.10** | आंतरिक ऋण | **236205.16** |
| 184275.11 | ब्याज सहित बाजार ऋण | 214418.05 |
| 0.11 | ब्याज रहित बाजार ऋण | 0.00 |
| 21.55 | भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण | 21.55 |
| 23801.33 | अन्य संस्थानों से ऋण | 21765.56 |
| **34747.62** | केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम | **43878.73** |
| 3.91 | वर्ष 1984-85 के पूर्व का ऋण | 3.91 |
| 0.58 | स्थापना एवं प्रतिबद्ध ऋण | 0.58 |
| 191.29 | राज्य स्कीम के लिए ऋण | 191.29 |
| 1.01 | केन्द्रीय प्रक्षेत्र स्कीम के लिए ऋण | 1.01 |
| 33.63 | केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के लिए ऋण | 30.83 |
| 42.96 | स्कीम के लिए अर्थोपाय अग्रिम | 42.96 |
| 34474.25 | राज्य के अन्य ऋण | 43608.16 |
| **74.01** | अंतर्राज्यीय समायोजन | **74.01** |
| **350.00** | आकस्मिकता निधि (संग्रह) | **350.00** |
| **57660.87** | लोक लेखा पर देयताएं | **61358.31** |
| 9396.88 | लघु बचत, भविष्य निधि आदि | 9141.12 |
| 38437.96 | जमा | 39666.57 |
| 9654.72 | आरक्षित निधि | 12343.98 |
| 0.00 | प्रेषण शेष | 0.00 |
| 171.31 | उचंत तथा विविध शेष | 206.63 |
| **53861.71** | व्यय से प्राप्तियों का संचयी अधिकाई | **56694.77** |
| **354792.32** | कुल | **398560.98** |
| | आस्तियाँ | |
| **22903.95** | नकद | **36982.18** |
| 0.00 | कोषागार में नकद एवं स्थानीय प्रेषण | 0.00 |
| 234.65 | विभागीय नकद अवशेष | 233.22 |
| 765.46 | स्थायी अग्रिम | 765.53 |
| 14069.82 | नकद शेष निवेश | 26762.09 |
| 805.90 | भारतीय रिजर्व बैंक में जमा | 726.68 |
| 7028.12 | उद्दिष्ट निधियों से निवेश | 8494.66 |
| **290886.03** | स्थायी आस्तियों पर सकल पूँजीगत व्यय | **327339.05** |
| 39024.62 | कंपनी एवं निगमों आदि के शेयरों में निवेश | 41512.98 |
| 251861.41 | अन्य पूँजीगत व्यय | 285826.08 |
| **0.00** | आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित) | **0.00** |
| **25209.64** | ऋण एवं अग्रिम | **27249.57** |
| **249.96** | सिविल अग्रिम | **249.96** |
| **14416.78** | उचंत एवं विविध शेष | **5611.89** |
| **1125.96** | प्रेषण शेष | **1128.33** |
| **0.00** | प्राप्तियों से व्यय का संचयी अधिकाई | **0.00** |
| **354792.32** | कुल | **398560.98** |

च. समेकित निक्षेप निधि विवरण :—

(राशि करोड़ रुपये में)

| पूर्व वर्ष के आरंभ में शेष 2023—24 | पूर्व वर्ष में बढोतरी 2023—24 | पूर्व वर्ष में प्रत्याहरण 2023—24 | पूर्व वर्ष के अंत में/ चालू वर्ष के आरंभ में बकाया 2024—25 | चालू वर्ष के आरंभ में एस. एल.आर. उधारों/बाजार ऋण का भंडार (प्रतिशत) 2024—25 | चालू वर्ष में संभावित बढोतरी 2024—25 | चालू वर्ष में संभावित प्रत्याहरण 2024—25 | चालू वर्ष 2024—25 के अंत में/ आगामी वर्ष 2025—26 के आरंभ में अनुमानित शेष | चालू वर्ष के अन्त में एस. एल.आर. उधारों/बाजार ऋण का अनुमानित भंडार (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5) | (7) | (8) | (9 ) |
| 8163.86 | 2323.13 | 0.00 | 10486.99 | 64.44 | 2113.01 | 0.00 | 12600.00 | 67.36 |